संख्या 22/2016 /2421/सत्रह-म-2016 ।।-। -द(2)/ 2006

प्रेषक

दीनानाथ गुप्ता
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर 2016

विषय : केन्द्र पुरोनिधानित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 698/ नि0शा0/ 2016-17 दिनांक 21-12-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 50:50 अनुपात में वित्त पोषित केन्द्र पुरोनिधानित मछुआ दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी सहकारी समितियॉ के 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सदस्यों / सक्रिय मत्स्य पालकों को बीमा से आच्छादित किये जाने का प्राविधान है, जिसमें बीमित व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू0 2.00 लाख तथा अपंगता की स्थिति में रू0 1.00 लाख के बीमा दावों के भुगतान की व्यवस्था है।

उक्त प्रीमियम की धनराशि रू0 20.35 प्रति व्यक्ति की दर से है जिसमें भारत सरकार (उन्नीस लाख तिरसठ हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) उपरोक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल भुगतान न करके बीमा किश्त डयू होने के 15 दिन पूर्व अवमुक्त की जाय ।
(2) धनराशि का आहरण भारत सरकार द्वारा इसी धनराशि के समतुल्य धनराशि फिशकोफेड को दिये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।
(3) उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
(4) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

http://shasnadesh.up.nic.com

2- उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनागत, 800-अन्य व्यय, 02- नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर फिशरमैन, 0201- मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना (के050/रा050 के0 रा0) -42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - -1/2016/बी-1-746/दस-2016- 231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(दीनानाथ गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्या-22/2016/2421 (1) /सत्रह-म-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- अवर सचिव,भारत सरकार कृषि मंत्रालय पशुधन डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली ।
3- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
4- सम्बंधित मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
5- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7- राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ (मर्यादित) नई दिल्ली।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-3 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव

http://shasnadesh.up.nic.com

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**